न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
110/2023 प्रा.पत्र/2023	16.10.2023	04.07.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास निवासी वार्ड नं0 14 पुरानी पंचायती धर्मशाला के पास मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज एण्ड कम्पनी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502 मोबाईल नं0 7597500427
2–मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज एण्ड कम्पनी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2– अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 04/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.04.2023 को समय 01:20 पी.एम. पर मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज एण्ड कम्पनी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज एण्ड कम्पनी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ/पेय पदार्थ पैकेज्ड ड्रिक्सवाटर, स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर, फ्रूट ड्रिक्स व अन्य खाद्य/पेय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में खादय पदार्थ/पेय पदार्थ पैकेज्ड ड्रिक्सवाटर, स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर, फ्रूट ड्रिक्स व अन्य खाद्य/पेय पदार्थ के साथ–साथ दुकान के गोदाम में लगभग 100 कार्टून मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक कार्टून में 250–250 एम.एल. पैक में से प्रत्येक पैक **कार्बोनेटेड वाटर (17 डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री आदेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान के गोदाम में रखे लगभग 100 कार्टून मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 250–250 एम.एल. पैक में **कार्बोनेटेड वाटर (17डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 0025 एवं पैकिंग की दिनांक 10.03.2023 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 250–250 एम.एल. पैक की 48 मूल बोतल पैक अवस्था में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कार्बोनेटेड वाटर (17 डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** 48 मूल बोतल मूल पैक प्रत्येक 250–250 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों 12–12 बोतल को धागे से बांधकर लगभग चार भाग तैयार किये, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3600 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3600 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री श्याम एन्टरप्राईजेज दुकान नं0 1, प्लॉट नं. 78, शिव नगर प्रथम मुरलीपुरा जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया परन्तु प्रस्तुत बिल में **कार्बोनेटेड वाटर (17डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** का नाम अंकित नहीं होने से प्रस्तुत बिल निराधार माना गया। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता एवं पैंकिगकर्ता की समस्त जिम्मेदारी श्री आदेश कुमार की मानी गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1500 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/1524/एक्ट/2023/1534 दिनांक 28.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कार्बोनेटेड वाटर (17डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया

कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कार्बोनेटेड वाटर (17डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 **(सहपठित धारा 49)** में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कार्बोनेटेड वाटर (17डिग्रीस ऑरेन्ज ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा(ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 **(सहपठित धारा 49)** के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक